नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रशासक, नगर पालिक निगम संकल्प क्रमांक – 01 दिनांक 08/04/2022

- मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 97 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा प्रस्तुत 2022–23 अनुशंसित बजट पर विचार–विमर्श के दौरान प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत वर्ष 2022–23 के लिए अनुमानित आय व्यय पत्रक/प्रस्ताव एवं कार्य योजनाओं को यथा संशोधन के साथ स्वीकृति दी जाती है। झोनल कार्यालय हेतु पृथक से बजट आवंटित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(रूपये लाख में)

मद	वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट (पूर्व वर्ष अनुसार)	वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत बजट
आय रूपये	516295.13	726246.60
व्यय रूपये	506075.50	712915.66
घाटा रूपये	(–)8204.98	(–)8177.59

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित बजट पत्रक में गत वर्षो की प्राप्ति व भुगतान के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में कियान्वित अधोसंरचना विकास योजनाओं एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं विकसित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रावधान स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत बजट के अंतर्गत घाटे की राशि में नियमानुसार 5 प्रतिशत रक्षित राशि (साधारण रिजर्व) का प्रावधान भी सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में शहरी विकास की विभिन्न योजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास–2022) शहरी गरीबों के आवास निर्माण योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, पर्यावरण एवं उद्यान विकास योजना एवं राजीव आवास योजना के निर्धारित एवं समयसीमा में कियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए ही आवश्यक बजट प्रावधान स्वीकृत किए गए हैं।

सम्पत्तिकर के स्व–निर्धारण प्रकिया के अंतर्गत सम्पत्तिकर की दरों को पूर्व वर्ष अनुसार ही लिया गया है। सम्पत्तिकर, लायसेंस फीस एवं कर व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं लक्ष्य अनुरूप राजस्व वसूली हेतु प्रयास निरंतर गतिशील रखे जाएंगे। स्वीकृत स्थापना व्यय, आय के अनुरूप होकर शासन की स्थापना व्यय परिधि से अत्यंत न्यून है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 करदाताओं से वसूल किए जाने वाले संपत्तिकर के लिए कर योग्य संपत्ति मूल्य की सीमा विगत वर्ष की तरह आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों को पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है। संपत्तिकर गणना की आधारभूत दरें, गणना चार्ट, स्लेब, भाग–अ की कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरें, भाग–ब की कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरें, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 के प्रावधानों के साथ–साथ शासन निर्देशों के क्रम में सम्पत्तिकर के निर्धारण एवं प्रकियात्मक परिवर्तन को भी निगम हित में लागू किया जाना स्वीकृत है।
  - रू. 6000 तक – निल
  - रू. 6001 से 36000 कर योग्य संपत्ति मूल्य पर – 6 प्रतिशत
  - रू. 36001 से 60000 कर योग्य संपत्ति मूल्य पर – 8 प्रतिशत
  - रू. 60001 से अधिक कर योग्य संपत्ति मूल्य पर – 10 प्रतिशत
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी भूमि/भवनों के कर योग्य संपत्ति मूल्य की रेट झोन दरें पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत की जाती है।

वर्तमान भाग–अः– कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरें **{आवासीय एवं गैर आवासीय रेट झोन (प्रतिवर्ग फुट)}**

स. क.	निर्माण की गुणवत्ता	झोन–1		झोन–2		झोन–3		झोन–4		झोन–5	
		आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय
1	आर.सी.सी, आर.बी.सी. या पत्थर की छतयुक्त	30/–	64/–	26/–	59/–	21/–	53/–	18/–	48/–	16/–	43/–

Scanned by CamScanner

	पक्के भवन										
2	सीमेंट या लोहे की चद्दर या कवेलू (टाइल्स) की छतयुक्त पक्के भवन	20/–	53/–	18/–	46/–	16/–	43/–	14/–	37/–	12/–	32/–
3	अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन जो उपरोक्त में नही आते	16/–	43/–	14/–	37/–	12/–	32/–	10/–	27/–	8/–	21/–
4	भूमि	18/–	32/–	15/–	27/–	12/–	21/–	9/–	16/–	6/–	11/–
	31/03/2000 तक भूमि	–	24/–	–	20/–	–	16/–	–	12/–	–	8/–

वर्तमान भाग–ब :– संपत्तिकर से मुक्त भूमि/भवनों (6,000/– या उससे कम कर योग्य संपत्ति मूल्य वाले) पर परिक्षेत्रवार सेवा शुल्क/व्यापक स्वच्छता कर की निर्धारित वार्षिक दरें (दि. 01/04/2001 से प्रभावशील) (म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1958 की धारा 132 की उपधारा 5 (क) के अन्तर्गत)।

स. क. क्षेत्र	निर्माण की गुणवत्ता	झोन–1		झोन–2		झोन–3		झोन–4		झोन–5		झोन–6
		आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	आवासीय	गैर आवासीय	समस्त औ. क्षेत्र
1	आर.सी.सी. ,आर.बी.सी. या पत्थर की छतयुक्त पक्के भवन	550/–	650/–	500/–	600/–	450/–	550/–	400/–	500/–	350/–	450/–	400/–
2	सीमेंट या लोहे की चद्दर या कवेलू (टाइल्स) की छतयुक्त पक्के भवन	450/–	550/–	400/–	500/–	350/–	450/–	300/–	400/–	250/–	350/–	350/–
3	अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन जो उपरोक्त में नही आते	किसी भी झोन मे हो, तो न्यूनतम 180 वार्षिक मूल्य वसूल करना है।										250/–
4	भूमि	किसी भी झोन मे हो, तो न्यूनतम 180 वार्षिक मूल्य वसूल करना है।										

औद्योगिक संपत्तिकर रेट झोन दरें, तालिका–अ एवं तालिका–ब एवं अन्य पूर्व वर्ष अनुसार लागू किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।

Scanned by CamScanner

- शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि/भवन पर बैंक/ए.टी.एम./मॉल/मल्टीप्लेक्स/प्रायवेट कोचिंग सेन्टर (50 से अधिक विद्यार्थी) किसी भी क्षेत्र में गतिशील/स्थित होने पर सम्पत्तिकर पूर्व वर्ष अनुसार दरों के अधिरोपित/वसूला जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।
- नगरीय क्षेत्र में स्थित आवासीय भूमियों/भवनों का उपयोग व्यवसायिक व औद्योगिक एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिये किये जाने पर सम्पत्तिकर का अधिरोपण व्यवसायिक (गैर आवासीय) रेट झोन दर अनुसार लिया जाना स्वीकृत है। आवासीय भूमि/भवनों का छात्रावास (होस्टल) के लिये उपयोग किए जाने पर सम्पत्तिकर एवं अन्य करों के अधिरोपण में संशोधन करते हुये आवासीय रेट झोन के स्थान पर व्यवसायिक रेट झोन दर से लिया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- वर्ष 2018–19 में नगर पालिक निगम के पूर्व परिषद प्रस्ताव कं. 02 दिनांक 04.04.2018 में आवासीय भूमि/भवनो का छात्रावास (होस्टल) का उपयोग किये जाने पर सम्पत्तिकर एवं अन्य करों के लिए आवासीय दरों एवं व्यवसायिक दरों का रेट झोन अनुसार औसत दर के मान से नवीन व्यवसायिक दर का निर्धारण किया गया था। जिसमें रेट झोन कमांक 01 में 47/– रूपये प्रति वर्गफीट, रेट झोन 02 में 43/– रूपये प्रति वर्गफीट व रेट झोन 03 में 37/– रूपये, रेट झोन 04 में 33/– रूपये एवं रेट झोन 05 में 30/– रूपये की दर से होस्टल के उपयोग हेतु आर.सी.सी. निर्मित भवनो का उल्लेखित दर से सम्पत्तिकर वसूली की जा रही है। होस्टल जहां पर आर.सी.सी. निर्माण के साथ पी.के.के. सीमेन्ट या लोहे की चद्दर या कवेलु (टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन एव के.सी.एच. (आंशिक कच्चे पक्के भवन) निर्माण गुणवत्ता के लिए रेट झोन के मान से निम्नानुसार कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरे वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत की गई हैं।

निर्माण की गुणवत्ता	रेट झोन–01	रेट झोन–02	रेट झोन–03	रेट झोन–04	रेट झोन–05
	आवासीय + व्यवसायिक	आवासीय + व्यवसायिक	आवासीय + व्यवसायिक	आवासीय + व्यवसायिक	आवासीय + व्यवसायिक
नवीन आर.सी.सी.रेट	47	43	37	33	30
नवीन पी.के.के. रेट	37	32	30	26	22
नवीन के.सी.एच.रेट	30	26	22	19	15

वित्तीय वर्ष 2022–23 के करारोपण हेतु ऐसे निर्मित भवनो में होस्टलो का उपयोग प्रयोजन के लिए उपरोक्त तालिका अनुसार निर्माण गुणवत्ता के आधार पर सम्पत्तिकर की गणना हेतु नवीन व्यवसायिक दर स्वीकृत है।

- सम्पत्तिकर की स्वःनिर्धारण पद्धति, सूचना एवं कर संग्रहण की व्यवस्था को पूर्व वर्ष अनुसार ऑनलाइन किया जाना स्वीकृत है। नगरीय सीमा क्षेत्रांतर्गत संपत्तिकर अधिरोपित/करारोपण किए जाने के कम में नये चिन्हांकित क्षेत्र जिन पर वर्तमान में निगम रिकॉर्ड के अंतर्गत निर्धारित रेट झोन उल्लेखित न होने के कारण वर्ष 2022–23 में भी ऐसे क्षेत्रों में गुण–दोषों, सुविधाओं एवं क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के आधार पर उचित रेट झोन लागू किए जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। प्रत्येक सम्पत्तिकर दाताओं को अपनी सम्पत्ति के आवासीय एवं गैर–आवासीय उपयोग को स्वयं स्व–विवरणी/स्व–निर्धारण फार्म में सही जानकारी दर्ज कर **"स्व–कर निर्धारण"** कराये जाने हेतु 31 दिसम्बर 2022 तक की समय–सीमा नियत की जाती है। नियत तिथि तक करदाता को अपनी भूमि/भवन की जानकारी स्वःनिर्धारण फार्म में भरकर जमा कराए, इस अवधि पश्चात् नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना स्वीकृत है, इसमें समयावधि सहित अन्य उचित कार्यवाही के सक्षम निर्णय हेतु आयुक्त को अधिकृत करना पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।
- यदि किसी भूमि/भवन पर दूरसंचार संबंधी टॉवर स्थापित हो, तो उस भूमि/भवन के कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरों में रू. 10 प्रति वर्गफुट अतिरिक्त जोड़ा जाना पूर्व प्रसारित संकल्प के कम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- अर्द्धनिर्मित मुख्य मार्ग जो कि इस वर्ष पूर्ण हो चुके/होंगे, ऐसे सभी मार्गो को मुख्य मार्ग की श्रेणी में लिया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत हैं।
- शिक्षा उपकर, व्यापक स्वच्छता कर, जल–मल निकास कर, जल–अभिकर, नगरीय विकास उपकर भी पूर्व वर्षानुसार वसूली करना स्वीकृत है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने पर नियमानुसार छूट दिया जाना पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत किया जाता है।
- शहरी क्षेत्र में खुली भूमि पर प्रथम बार निर्माण स्वीकृत के समय सम्पत्तिकर की गणना के लिए सम्पत्तिकर रेट झोन दरे प्रभावशील है, वही दरें निर्माण पश्चात् भी यथावत प्रभावी रखना स्वीकृत करते हुए निर्माणाधीन अवधि में

Scanned by CamScanner

जो रेट झोन सम्पत्तिकर के लिये लागू है। उससे कम रेट झोन उस भूमि/भवन पर लागू नही होने तथा निर्माण पश्चात् अपग्रेडेशन की स्थिति में उच्च रेट झोन लागू किये जाने हेतु पूर्व वर्ष अनुसार प्रचलित प्रकिया वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी लागू किया जाना स्वीकृत है।

- ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों में संपत्तिकर रेट झोन एवं संपत्तिकर के अंतर्गत भूमि के पंजीयन कराने के पूर्व का संपत्तिकर लिया जाना स्वीकृत है। पर्यावरण सुधार कार्यकम के अन्तर्गत केवल आवासीय संपत्तिकर धारकों को आवासीय उपयोग किये जाने पर पूर्व प्रचलित प्रावधान को स्वीकृत करते हुए इनमें परिवर्तन/संशोधन हेतु आयुक्त को अधिकृत करना पूर्व वर्षानुसार वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।
- नगरीय सीमा में निगम/अन्य संस्था व ऐजेन्सी द्वारा बॉण्ड/ऋण/अनुदान/योजनाओं एवं अन्य स्त्रोतों से निर्मित सड़कों के दोनों भागों पर स्थित/निर्मित भूमि/भवनों को मुख्य मार्ग का दर्जा देते हुए सभी वर्तमान संपत्तिकर रेट झोन दरों एवं मुख्य मार्ग दर के अतिरिक्त 2 रू. प्रति वर्गफुट की दर पूर्व प्रचलित प्रावधान अनुसार संपत्तिकर में जोड़ा जाना स्वीकृत है। इस संबंध में निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2022–23 में भी कार्यवाही किया जाना स्वीकृत है।
- शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी भवन में सेटबैक की भूमियां जो कि योजना क्षेत्र (प्लानिंग एरिया) में शामिल नही की गई हैं ऐसी भूमि के उस भाग को सम्पत्तिकर, अन्य संबंधित करों की गणना में शामिल नही किया जाता है। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- ऐसी भूमि/भवन जिन पर कुष्ठ रोगी केन्द्र, वृद्धा आश्रम, मंदबुद्धि केन्द्र, दृष्टिहीन/शिथिलांग नशामुक्ति केन्द्र अनाथालय, व्यायामशालाएं (अखाडे), जो कि बिना लाभ–हानि के संचालित की जा रही हों। ऐसी भूमि/भवन पर सम्पत्तिकर में निगम अधिनियम एवं शासन निर्देशानुसार पूर्व वर्ष की भांति छूट दी जाती है। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- सार्वजनिक धर्मशालाओं एवं बिना लाभ–हानि के कार्यरत संस्थाओं पर नियमानुसार गुणदोषों के आधार पर आवासीय दर से संपत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर लिए जाते हैं। इस संबंध में परिवर्तन किए जाने (व्यवसायिक गतिविधियों के भाग को छोड़कर) में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकृत एवं शासनाधीन समस्त धार्मिक स्थल/संरचनाओं एवं धर्मसंस्थाओं (धार्मिक प्रयोजनों)/स्वीकृत धार्मिक स्थलों की भूमियां/सम्पत्तियां केवल धार्मिक संरचना निर्माण हेतु स्वीकृत भाग पर लगने वाले निगम के सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधी कर व शुल्क से मुक्त रखा जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्षानुसार स्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
- केन्द्र/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र (जैसे–सांवेर रोड़, लक्ष्मीबाई नगर एवं पोलोग्राउण्ड) की भूमि/भवनों पर तालिका–अ पूर्वानुसार लागू होगी। लसूड़िया मोरी क्षेत्र में चूंकि अद्योसंरचनात्मक विकास नहीं हुआ है इसलिए उस क्षेत्र में स्थित समस्त गोदामों को रेट झोन कमांक 6 (तालिका कमांक ब) के मान से कर वसूली की जाना स्वीकृत किया जाता है। निगम परिषद प्रस्ताव कं. 03 दिनांक 15.07.2016 के कम में लसुडिया मौरी क्षेत्र में स्थित गोदामो पर रेट झोन 06 के मान से सम्पत्तिकर वसूली की जा रही हैं। लसुडिया मौरी के संलग्न स्थित तलावली चांदा एवं पिपल्या कुमार क्षेत्र में भी अद्योसंरचनात्मक विकास नही होने से उक्त क्षेत्र में स्थित गोदामो पर केन्द्र/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों को छोडते हुए अन्य औद्योगिक क्षेत्र (रेट झोन कं. 06 अन्य औद्योगिक क्षेत्र तालिक कं. ब) के अनुसार आर.सी.सी. निर्मित भवन हेतु 25/– रूपये वर्गफीट, पी.के.के. (पक्का) निर्मित भवन 20/– रूपये वर्गफीट एवं के.सी.एच. (कच्चा) भवन के लिए 15/– रूपये वर्गफीट एवं खुली भूमि के लिए 10/– वर्गफीट के मान से वर्ष 2022–23 में सम्पत्तिकर वसूली हेतु कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरे पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।

तालिका–अ

सं.कं.	निर्माण की गुणवत्ता	दर प्रतिवर्ग फुट (रूपये में)
1	आर.सी.सी., आर.बी.सी. या पत्थर छतयुक्त पक्के भवन	21
2	सीमेंट लोहे की चद्दर या कवेलू (टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन	17
3	अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन जो उपरोक्त में नही आते	13
4	भूमि	8

Scanned by CamScanner

तालिका– ब

सं.कं.	निर्माण की गुणवत्ता	दर प्रतिवर्ग फुट (रूपये में)
1	आर.सी.सी., आर.बी.सी. या पत्थर छतयुक्त पक्के भवन	25
2	सीमेंट लोहे की चद्दर या कवेलू (टाईल्स) की छत युक्त पक्के भवन	20
3	अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन जो उपरोक्त में नही आते	15
4	भूमि	10

- शहरी सीमा में स्थित शासन/जिला प्रशासन द्वारा घोषित एवं निगम परिषद द्वारा स्वीकृत गरीब/मलिन/गंदी बस्तियां शहर के किसी भी क्षेत्र में स्थित होने पर बस्तियों में स्थित भूमि/भवन पर सम्पत्तिकर एवं अन्य कर की गणना रेट झोन 05 के अनुसार एवं इस संबंध में समय–समय पर मेयर–इन–कौंसिल/परिषद के पूर्व संकल्प अनुसार एवं यथा संशोधन अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है। बस्तियों की पंजीकृत/घोषित सूची यथा संशोधन अनुसार ही कार्यवाही किया जाना स्वीकृत किया जाता है, इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आयुक्त को पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत किया जाता है।
- शहरी सीमा में स्थित शासन/जिला प्रशासन द्वारा घोषित गरीब/मलिन/गंदी बस्तियां शहर के किसी भी क्षेत्र/रेट झोन में स्थित होने पर सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर में लगे अधिभार में निर्धारित अवधि एवं निर्धारित प्रतिशत तक नियमानुसार राहत/छूट एवं इस संबंध में अन्य निर्णय जनहित में लिये जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संपत्तिकर में शहर के नागरिकों को अग्रिम कर जमा कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 में भी सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 एवं निर्धारित प्रतिशत तक नियमानुसार राहत/छूट स्वीकृत कर अग्रिम जमा कराने पर प्रदान की जा रही है। इस संबंध में अन्य निर्णय जनहित में लिये जाने हेतु आयुक्त को पूर्व वर्ष अनुसार अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- चालू वर्ष का सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर बिना सरचार्ज के जमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित/नियत करना स्वीकृत करते हुए करदाता से इस तिथि उपरांत कर जमा कराने पर सरचार्ज लिया जाना स्वीकृत है। दिनांक 31 दिसंबर 2022 के पश्चात् 31 जनवरी 2023 तक सरचार्ज 5 प्रतिशत, 28 फरवरी 2023 तक सरचार्ज 10 प्रतिशत एवं 31 मार्च 2023 तक सरचार्ज 15 प्रतिशत देय होगा। गत वर्षो की बकाया राशि पर एकमुश्त देय बकाया राशि की गणना कर उस पर 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाना स्वीकृत किया जाता है। जिससे अधिभार पर अधिभार लगने की स्थितियां निर्मित नही हो। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी शासकीय विभागों एवं अन्य बिना लाभ–हानि कार्यरत संस्थाओं के मामले में सरचार्ज में छूट देने हेतु पूर्व वर्ष अनुसार आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- संपत्तिकर में भूमि/भवन का नामांतरण सीनियर सिटीजन करदाताओं के नाम किये जाने पर संबंधित भूमि/भवन पर लगने वाले नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, सम्पत्तिकर में भूमि/भवन का नामांतरण महिला के नाम कराने पर सम्पत्ति के नामांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट पूर्व वर्ष अनुसार दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। एक ही करदाता को उक्त दोनों छूट की पात्रता में आने पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट ही दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। समस्त औद्योगिक रेट झोनों में संपत्ति का नामांतरण कराने पर समान दर पूर्व वर्ष अनुसार ही वर्ष 2022–23 में भी लिया जाना स्वीकृत है। निकाय सीमा में स्थित भूमि/भवन के नामांतरण शुल्क आवासीय, गैर आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्र के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार लिया जाना स्वीकृत है।
- जलपुनर्भरण एवं भू–जल संवर्धन होने पर कर योग्य संपत्ति मूल्य में 6 प्रतिशत की छूट शहर की सीनियर सिटीजन करदाताओं को, शहर की महिला करदाता, विधवा, अवयस्क, शारीरिक रूप से निःशक्त एवं मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/रक्षा सेवाओं के सेनानी एवं उनकी विधवा, नेत्रहीन/मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति एवं परित्यक्ता स्त्री को स्वयं उपयोग करने पर छूट पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिया जाना स्वीकृत है।
- सम्पत्तिकर/जलकर शुल्क जमा करने वाले करदाताओं को भी पुरूस्कृत किया जाना, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापित कर खाद निर्मित करने पर घर–घर कचरा संग्रहण प्रभार (शुल्क) में छूट नियमानुसार प्रदान किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापित कर खाद निर्मित करने पर समेकित कर में छूट होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, कवर्ड टाउनशिप/कॉलोनी

Scanned by CamScanner

एवं अन्य इसी प्रकार के संस्थानों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट जिसकी मात्रा 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन से अधिक हो के निस्तारण हेतु प्रसंस्करण स्थापित कर खाद निर्मित करने पर समेकित कर में 6% की छूट का लाभ दिये जाने समस्त नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।

- संपत्तिकर की दरों की विसंगति/परिवर्तन/डाटा बेस में सुधार करने तथा अन्य करों में धार्मिक संस्थाओं/धर्मशालाओं/ट्रस्टों तथा केवल शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को उनके गुण–दोष तथा तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त एवं नियमानुसार छूट के अधिकार, आयुक्त की राय के साथ पूर्व मेयर–इन–कौंसिल के संकल्प अनुसार वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। संपत्तिकर में शैक्षणिक संस्थाओं के अन्तर्गत केवल शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं को छूट दिया जाना स्वीकृत है, न कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं को। इस संबंध में पूर्व से दी जा रही संस्थाओं को छूट वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूर्व वर्ष अनुसार जारी रखा जाना स्वीकृत किया जाता है।
- नगरीय सीमा में कॉलोनी अनुज्ञा देते समय, कॉलोनी नियमितीकरण के समय, भवन/बहुमंजिला इमारतों को भवन अनुज्ञा देते समय एवं अन्य संबंधित अनुज्ञा देते समय सभी संस्थाओं/व्यक्तियों के पूर्व चालू एवं बकाया संपत्तिकर का नो ओब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिए जाने के बाद ही भवन अनुज्ञा दी जाना पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।
- करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु निगम अधिनियम की धारा 189–ए के संदर्भ में करदाताओं की सुविधा के लिए केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ए.टी.एम. व ऑनलाइन बैकिंग के माध्यम से निगम के करों एवं शुल्कों का संग्रहण बैंकों के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है। राजस्व संग्रहण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं शेड्यूल बैंकों से संग्रहण की व्यवस्था को बढ़ाए जाने के लिए समस्त कार्यवाही हेतु आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार अधिकृत किया जाता है।
- निगम सीमा में स्थित रिक्त प्लाट धारक कर–अपवंचन के लिए खाली भूखंड पर घर जैसा नाममात्र का (न्यूनतम स्ट्रक्चर निर्माण) निर्माण कर लेता है, ऐसे भूखंडों पर बिना अनुमति/अनुज्ञा के निर्माण किए जाने पर कुल भूखंड क्षेत्रफल का खाली प्लाट का कर (संपत्तिकर) लिया जाना पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत किया जाता है।
- भूमि/भवन/फ्लेट/मल्टीस्टोरी/ग्रुप हाउसिंग की भवन अनुज्ञा दिए जाने के दौरान संबंधित भूखण्ड/भूमि का सम्पत्तिकर जमा करवाया जाता है एवं एक खाता भी खोला जाता है। निर्माण पूर्ण हो जाने के पूर्व वर्ष तक, भूमि/भूखण्ड का संपत्तिकर निर्माणकर्ता एजेंसी/व्यक्ति द्वारा जमा किया जाएगा। निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरांत भवन में निर्मित फ्लेट/प्रकोष्ठ के स्वामियों द्वारा पृथक–पृथक से नगर निगम में अपने सम्पत्तिकर के खाते अपने प्रकोष्ठ के निर्मित क्षेत्रफल के मान से खुलवाएं जायेंगे। यह प्रकिया वर्तमान में प्रचलित है, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि निर्मित प्रकोष्ठ के स्वामियों के खाते खुल जाने उपरांत, निर्माणकर्ता एजेंसी/व्यक्ति के नाम से, पूर्व में खोला गया खाता बंद नही किया जाता है। जिससे एक ही सम्पत्ति पर एक से अधिक खाते खुल जाते हैं। तकनीकी रूप से इस वर्ष ऐसे अतिरिक्त खातों को बंद करते हुए मांग में सुधार करने की कार्यवाही की जावेगी, इस समस्त कार्यवाही हेतु आयुक्त को पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- निगम मुख्यालय पर नवनिर्मित वातानुकूलित कैश कलेक्शन काउंटरों पर करदाताओं की सुविधाओं के लिए सी.सी. टी.वी. कैमरे भी स्थापित किये गये है। अपने खाते की जानकारी प्राप्त करने हेतु कियोस्क स्थापित किये गये हैं। करदाताओं की सुविधा के लिए एम.पी. ऑनलाइन/कियोस्क/ पंजीकृत एजेन्सी/निजी सायबर कैफे के माध्यम से जुडते हुए नागरिकों को निगम करों की राशि के भुगतान की सुविधा है। इस प्रकार न केवल निगम मुख्यालय, झोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालयों एवं केडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने की सुविधा आम नागरिकों को मिलेगी। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक एम.पी. ऑनलाइन/कियोस्क /पंजीकृत एजेंसी/निजी सायबर कैफे, के माध्यम से राशि जमा कराने की सुविधा भी मुहैया कराई जावेगी।

  करदाताओं की सुविधा के लिए फील्ड में बिल कलेक्टर/दरोगा/निरीक्षक /उपनिरीक्षक/सहायक राजस्व अधिकारी एवं अन्य द्वारा करदाताओं की आवश्यतानुसार करों के संग्रहण के समय करदाता को स्थल पर ही त्वरित बिल/रसीद प्रिंट किए जाने की सुविधा लागू किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है, जिससे कि निगम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा टेबलेट से करदाता को तत्काल रसीद उपलब्ध कराई जाए।

  सभी प्रकार के कर, उपकर, उपभोक्ता प्रभार, लायसेंस फीस, शुल्क आदि की वसूली वार्डवार नियुक्त एक ही कर्मचारी अर्थात बिल कलेक्टर द्वारा की जायेगी। इस कार्यवाही के लिये आयुक्त को अधिकृत किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।

Scanned by CamScanner

- नगरीय सीमा में स्थित रजिस्ट्रार/पंजीयन कार्यालय के अतिरिक्त शहर में अन्य नये पंजीयन कार्यालयों में भी कैश कलेक्शन काउंटर स्थापित कर निगम करों एवं शुल्कों का संग्रहण एवं ऑनलाइन कर जमा करने की कार्यवाही, समन्वय स्थापित कर नये पंजीयन कार्यालयों/शासकीय कार्यालयों/अन्यत्र चिन्हित स्थान में निगम का काउंटर/सुविधा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है। झोन स्तर पर सम्पत्तिकर, अन्य अनुशांसिक कर एवं फीस आदि के संग्रहण के लिए दैनिक रूप से सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा कार्य किया जाता है। इन्दौर शहर के 19 झोनों के सहायक राजस्व अधिकारियों को वाहन/जीप क्रय कर उपलब्ध कराई गई है, जिससे राजस्व में वृद्धि के लिए वे सक्रिय होकर क्षेत्र में कार्य कर सके।
- संपत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर में यदि किसी करदाता का प्रकरण किसी भी अधिकारी/प्राधिकारी के समक्ष अपील में लंबित है तो उस करदाता का प्रकरण निराकृत होने तक किसी भी प्रकार के सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर में छूट की पात्रता नही होगी। छूट की पात्रता हेतु अपीलीय अधिकारी को प्रकरण के समय सक्षम निर्णय लिए जाने हेतु आयुक्त अधिकृत है। कर–अपवंचन करने वाले भवन स्वामियों की जांच हेतु दल गठित कर मौके पर परीक्षण कराकर पांच गुना पेनल्टी के साथ सम्पत्तिकर वसूला जाना स्वीकृत है। किसी भी वार्ड में संपत्तिकर की प्रभावी वसूली हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उस वार्ड के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किये जाने हेतु पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृति दी जाती है, इस प्रक्रिया हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत है।
- सम्पत्ति कर/जलकर/राशन–कार्ड/भवन–अनुज्ञा/लायसेंस आदि के लिए करदाताओं को स्वयं की सम्पत्ति का एक विशिष्ट क्रमांक (यूनिक कोड) दिया जाएगा। जिससे एक ही सर्विस नम्बर पर नागरिक अपने सभी करों/शुल्कों का भुगतान कर सकें। निगम द्वारा करदाताओं को स्मार्ट कार्ड के रूप में एक यूनिक कार्ड उपलब्ध कराएगा। जिससे नागरिकों को करों का भुगतान करने में सरलता होगी । इस प्रक्रिया में और अधिक सुधार एवं नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया हेतु आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत करना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- शहर में सम्मिलित किए गए वृद्धित क्षेत्र में वार्ड एवं झोनवार सर्वे के कार्य हेतु निजी/बाहय सर्वे एजेन्सियों से सर्वे का कार्य कराए जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। इस कार्य के लिए केवल तकनीकी योग्यता प्राप्त एजेन्सियों के माध्यम से ही कार्य कराया जाएगा। वर्तमान डाटा बेस से मिलान करने के पश्चात् ही नये खाते खोले जाएंगे एवं व्यवस्थित प्रक्रिया अनुसार डबल खाते न खुलें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। करदाताओं की समस्याओं हेतु समय–समय पर आवश्यकता अनुरूप आवश्यक शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। शिविर में प्राप्त प्रकरणों पर यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु आयुक्त को पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत किया जाता है।

  मेयर–इन–कौंसिल के पूर्व संकल्प क्रमांक 156 दिनांक 04.02.2021 अनुसार नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कर या शुल्क को चेक के माध्यम से जमा किये जाने पर यदि उक्त चेक किसी कारण से बैंक द्वारा अस्वीकृत या वापस करने पर चेक की राशि निगम में जमा नहीं होने की स्थिति में अनादरित चेक पर करदाता से चेक राशि का 1 प्रतिशत दंड राशि या न्यूनतम दंड राशि रूपये 500/– (जो भी अधिक हो) वसूलने की स्वीकृति निगम परिषद् के पूर्व पारित संकल्प अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में दी जाती है ।
- करदाताओं के लिये प्रत्येक वार्ड एवं झोनल कार्यालयों पर कर समाधान एवं वसूली शिविरों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है एवं इस वर्ष भी शिविर का अयोजन किया जाना स्वीकृत है। नागरिकों की करों एवं शुल्कों संबंधित समस्याओं का समाधान त्वरित किया जाएगा। इन शिविरों में सुधार प्रक्रिया के साथ–साथ बकाया वसूली को भी संग्रहित करना लक्षित है। निगम द्वारा शहरी सीमा में स्थित सभी सम्पत्तियों को करारोपण के क्षेत्र में लिये जाने के लिये निरंतर सर्वे एवं सम्पत्तियों का पुनः निर्धारण भी किया जाता है। नियमित, अग्रिम एवं समयावधि में करो/शुल्कों की राशि जमा कराने वाले करदाताओं को छूट भी प्रदान की जाती है। इससे नागरिकों में अग्रिम कर जमा कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, अपितु शहरी विकास में उनकी सहभागिता भी दर्ज हो रही है। कर–अपवचन करने वाले करदाताओं पर सरचार्ज, कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही के साथ पांच गुना पेनल्टी की कार्यवाही की जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है, जिससे नागरिकों द्वारा निगम करों का भुगतान निर्धारित समयावधि में कर सकें। शहर के नवीन सम्मिलित समीपस्थ क्षेत्रों में भी करों/शुल्कों के लिये आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार अधिरोपण एवं संग्रहण की कार्यवाही किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी पूव वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी यथावत् पूर्ववर्ष अनुसार विभिन्न झोनल कार्यालयों एवं मुख्यालयों पर सम्पत्तियों को दर्ज किये जाने हेतु स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर नियमित संधारित कराये जा रहे हैं। वित्तीय विवरण के अंतर्गत चिठ्ठे

Scanned by CamScanner

को इस वर्ष के लिये भी तैयार करना है। करदाताओं को सरल एवं सुगम सुविधा का लाभ देते हुये निगम मुख्यालय पर केश कलेक्शन के काउंटर के समीप ए.टी.एम. मशीनें, टचस्कीन सेवाएं उपलब्ध है जिनके माध्यम से करदाताओं को राशि निकालने एवं जमा कराने में कठिनाई न हो। यह सुविधा बैंक के माध्यम से भी गतिशील है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी झोनल कार्यालय पर प्राप्त होने वाली राजस्व राशि को बैंकों के माध्यम से संग्रहण पूर्व वर्ष अनुसार कराया जा रहा है एवं नवीन कार्यालयों पर कराया जाना स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को निगम संबंधी करों एवं शुल्कों की जानकारी हेतु ऑन लाईन पर जानकारी एवं मुख्यालय पर टचस्कीन स्थापित है, जिसके माध्यम से नागरिकों को त्वरित अपने खाते की जानकारी प्राप्त हो जाती है। टचस्कीन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं को वर्ष 2022–23 में भी कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु निगम द्वारा अपनी सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था एवं कार्यप्रणालियों को पूर्ण एकीकृत किया है। नागरिकों को ऑनलाइन से कर/शुल्क जमा कराना व स्वःनिर्धारण फार्म ऑनलाइन से भरे जाने की व्यवस्था को यथावत लागू किये जाने से नागरिकों को इस अतिरिक्त व्यवस्था का लाभ प्राप्त होगा। इस सुविधा को वर्ष 2022–23 में भी यथा एवं नई तकनीक से लागू किया जाना स्वीकृत है। नागरिकों के लिये पूर्ण कम्प्युटरीकृत नागरिक सुविधा केन्द्र गतिशील है, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, कम्प्युटरीकरण, सॉफ्टवेयर विकास हार्डवेयर रख–रखाव, कम्प्युटरीकरण उपकरण क्रय, यू.पी.एस. इनवर्टर क्रय हेतु प्रावधान बजट में स्वीकृत किये गये हैं।

- मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रं. 192 दिनांक 03.04.2021 में प्रकाशित मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं 1961 की विभिन्न धारा में किए गए संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 5, 132, 135, 136, 138 में शब्द वार्षिक भाडा मूल्य के स्थान पर कर योग्य संपत्ति मूल्य शब्द स्थापित किया गया है एवं निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) के स्थान पर शब्द सन्निर्मित क्षेत्र (कस्ट्रक्टिड एरिया) स्थापित करने हेतु संशोधन किए गए हैं। साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधनियम 1956 की धारा 136 (आई) के अनुसार आवासीय स्वयं उपयोग संपत्तिकर खातों में केवल चालू वर्ष में ही संपत्तिकर मांग राशि पर 50 प्रतिशत की छूट देय है तथा ऐसे आवासीय स्वयं उपयोग प्रयोजन के प्रचलित खातों एवं खोले जाने वाले नवीन खातों में पूर्व वर्षों की बकाया देय संपत्तिकर राशि पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ समाप्त कर संशोधन किया जाने से वर्तमान मे प्रचलित आवासीय स्वयं उपयोग प्रयोजन के खातों एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में खोले जाने वाले नवीन खातों में पूर्व वर्षों की बकाया देय संपत्तिकर राशि पर 50 प्रतिशत की छूट समाप्त कर नियमानुसार पूर्ण देय संपत्तिकर राशि एवं उस पर नियमानुसार अधिभार की राशि अधिरोपित कर मांग कायम की जाना स्वीकृत किया जाता है। साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 (3) में किसी भूमि या भवन के कर योग्य संपत्तिकर मूल्य की जांच परीक्षण निर्धारण में उपधारा 2 के अधीन विगत तीन कर निर्धारण वर्ष तक जमा की गई विवरणी की जांच परीक्षण निर्धारण एवं सत्यापन करने का संशोधन किया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत तक फेर फार को ध्यान में नहीं लिया जावेगा उन प्रकरणों में जहां फेर फार 10 प्रतिशत से अधिक हो वहां यथा स्थिति भूमि/भवन का स्वामी उसके द्वारा किए गए स्वयं निर्धारण तथा आयुक्त/नगर पालिका अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण का अंतर 5 गुना के बराबर शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा। साथ ही इस उपधारा के अधीन ''कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक उसके साथ उपधारा 3 के अधीन जारी आदेश मं मांगी गई राशि की कम से कम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया हो'' का किया गया संशोधन सहित मध्यप्रदेश राजपत्र क्रं. 192 दिनांक 03/04/2021 विधि और विधायी कार्य विभाग मे प्रकाशित अधिनियम में किए गए संशोधनों का कियान्वयन स्वीकृत किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी सम्पत्तियों/जल संयोजन की संख्या में अंतर को समाप्त/समतुल्य करने हेतु वार्डवार सर्वे निगम अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बाहरी संस्थाओं से कराए जाने एवं संपत्तिकर एवं जलकर के खातों को एकीकृत किए जाने, के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। इसमें अन्य शासकीय विभागों के डाटाबेस को भी बुलाकर उससे मिलान कराया जाना स्वीकृत है। शहरी जलप्रदाय व्यवस्था एवं आय को व्यवस्थित करने के लिये जल संयोजन मीटर भी लगाये जाना स्वीकृत किया जाता है, जिससे कि सभी जल संयोजन धारकों से जलकर की राशि उपभोग अनुसार वसूला जाना स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी झोनवार जल संयोजन सर्वे के कार्य हेतु निजी/बाहय सर्वे एजेन्सियों से सर्वे का कार्य कराए जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। उक्त सर्वे कार्य के लिए केवल तकनीकी योग्यता प्राप्त एजेन्सियों के माध्यम से ही कार्य कराया जावे। वर्तमान डाटा बेस में मिलान करने के पश्चात् ही नये खाते खोले जाए एवं व्यवस्थित प्रक्रिया अनुसार अतिरिक्त (डबल) खाते न खुलें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी यथावत पूर्व वर्ष अनुसार जारी रखा जाना स्वीकृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी अग्रिम जलकर जमा कराने वालों को पूर्व वर्ष अनुसार यथावत 6 प्रतिशत की छूट का लाभ 30 जून 2022 तक नियमानुसार दिया जाना स्वीकृत किया जाता है।
- जलकर की दरें पूर्व वर्ष यथावत निम्नानुसार वर्ष 2022–23 में भी लागू की जाना स्वीकृत की जाती है।

क्रं.	कनेक्शन का प्रकार	दर प्रतिमाह रूपयों में 2022–23 में स्वीकृत
1	1/2 इंच घरेलू संयोजन	200
2	1/2 इंच व्यवसायिक संयोजन	750
3	1/2 इंच औद्योगिक संयोजन	1200
4	3/4 इंच घरेलू संयोजन	300
5	3/4 इंच व्यवसायिक संयोजन	1200
6	3/4 इंच औद्योगिक संयोजन	2100
7	1 इंच घरेलू संयोजन	2400
8	1 इंच व्यवसायिक संयोजन	2400
9	1 इंच औद्योगिक संयोजन	3900
10	1 $^{1}/_{2}$ इंच घरेलू संयोजन	4200
11	1 $^{1}/_{2}$ इंच व्यवसायिक संयोजन	4200
12	1 $^{1}/_{2}$ इंच औद्योगिक संयोजन	8400
13	2 इंच घरेलू संयोजन	8400
14	2 इंच व्यवसायिक संयोजन	8400
15	2 इंच औद्योगिक संयोजन	16800
16	3 इंच घरेलू संयोजन	16500
17	3 इंच व्यवसायिक संयोजन	16500
18	3 इंच औद्योगिक संयोजन	33000
19	4 इंच घरेलू संयोजन	32000
20	4 इंच व्यवसायिक संयोजन	32000
21	4 इंच औद्योगिक संयोजन	64000
22	6 इंच घरेलू संयोजन	60200
23	6 इंच व्यवसायिक संयोजन	60200
24	6 इंच औद्योगिक संयोजन	120500

- इस वित्तीय वर्ष से नवीन कनेक्शन देने की व्यवस्था जल वितरण नलिकायें एवं फीडर लाईन/पानी की टंकी के संधारण का कार्य करने वाले नर्मदा परियोजना के अधिकारियों को दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। इससे किसी क्षेत्र विशेष में पानी की उपलब्धता अनुसार ही कनेक्शन दिये जा सकेंगे, जिससे अन्य कनेक्शनधारियों को असुविधा न हों। साथ ही नर्मदा परियोजना के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि नगर निगम की जल वितरण नलिकाओं से जितने भी कनेक्शन रहवासियों द्वारा लिये गये हैं, उन सभी कनेक्शन की जल प्रभार राशि नगर निगम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। नर्मदा परियोजना के अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारी को 31 जनवरी 2023 तक का समय दिया जाकर यह सुनिश्चित कराया जाना स्वीकृत किया जाता है कि जलवितरण नलिकाओं से हुए समस्त कनेक्शन का रिकार्ड विधिवत रूप से नर्मदा परियोजना के अधिकारियों के पास संधारित हो जाये, साथ ही नर्मदा परियोजना के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कनेक्शन का विवरण मांग के रूप में संबंधित झोन के सहायक राजस्व अधिकारी के पास दर्ज हो जाए ताकि उस अनुसार वसूली का कार्य नर्मदा परियोजना अधिकारियों की मदद से सहायक राजस्व अधिकारी/झोनल अधिकारी द्वारा किया जा सके। यह भी स्वीकृत किया जाता है कि सभी व्यवसायिक संस्थानों पर व्यवसायिक दरों पर पानी की मांग अनुसार एक ही कनेक्शन दिया जाए तथा पूर्व में कहीं–कहीं पर मांग अनुसार जलप्रदाय करने हेतु एक से अधिक कनेक्शन दिए जाने की परम्परा को समाप्त कर सभी व्यवसायिक संस्थानों पर दिनांक 31.12.2022 तक एक ही कनेक्शन दिया जाए। यह भी स्वीकृत किया जाता है प्रत्येक वार्ड हेतु निविदा प्रकाशित कर प्लम्बर्स से आवेदन प्राप्त किया जावे एवं अनुभव के आधार पर इन प्लम्बर्स को वार्डवार एक वर्ष/निर्धारित अवधि तक चयनित कर निगम की ओर से

Scanned by CamScanner

कनेक्शन करने बाबद् जिम्मेदारी दी जावे। नगर निगम के झोनवार वर्तमान कार्यरत प्लम्बर्स एवं झोन स्तर, पर अन्य जलप्रदाय संबंधी कार्य में संलग्न कर्मचारी पूर्ण रूप से नर्मदा परियोजना के अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करें। उक्त समस्त कार्यवाही हेतु अन्य नीतिगण निर्णय लेने हेतु एवं सम्पूर्ण व्यवस्था को कियान्वयन, करने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी शासन आदेशानुसार झुग्गी–झोपडियों में निवास करने वाले रहवासियों को एवं गंदी बस्ती में रहने वाले रहवासियों से अवैध नल कनेक्शन के नियमितीकरण के लिये निर्धारित राशि एवं प्रकिया अनुसार यथावत/संशोधन पूर्व वर्ष के अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मासिक जल शुल्क में यथा पूर्व वर्ष के अनुसार छूट मय पात्रता अनुसार वर्ष 2022–23 में भी दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शहरी क्षेत्र में स्थित शासन/जिला प्रशासन द्वारा घोषित गरीब/मलिन/गंदी बस्तियों धारक द्वारा जल संयोजन के पेटे जलकर/चार्जेस 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि एकमुश्त अथवा किस्तों में निर्धारित अवधि 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्व वर्ष अनुसार निर्धारित प्रतिशत तक सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करने संबंधी कार्यवाही की जाना स्वीकृत की जाती है। इस संबंध में समय–समय पर जनहित में अन्य निर्णय लिए जाने के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।

आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन हेतु अलग–अलग साईज के कनेक्शन के अनुसार कनेक्शन फिक्स चार्ज रू./प्रतिमाह एवं वॉल्यूमैट्रिक वॉटर टेरिफ रू./किलो लीटर स्वीकृत किया जाता है।

फिक्स चार्ज प्रति कनेक्शन रू./प्रतिमाह :–

क्र	कनेक्शन साइज	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक
1	15 एम.एम.	70.00	350.00	800.00
2	20 एम.एम.	150.00	700.00	1800.00
3	25 एम.एम.	300.00	1340.00	2400.00
4	40 एम.एम.	600.00	2650.00	9600.00
5	50 एम.एम.	880.00	3960.00	16000.00
6	80 एम.एम.	1680.00	7920.00	32000.00
7	100 एम.एम.	3360.00	15840.00	60000.00
8	150 एम..एम.	6720.00	31680.00	120000.00

घरेलू		व्यवसायिक		औद्योगिक	
जल मात्रा	दर रू./कि.ली.	जल मात्रा	दर रू./कि.ली.	जल मात्रा	दर रू./कि.ली.
0–20 कि.ली.	7.00	0–20 कि.ली.	12.00	0–30 कि.ली.	15.00
21–30 कि.ली..	11.00	21–80 कि.ली.	18.00	31–100 कि.ली.	20.00
31–60 कि.ली.	15.00	–	–	–	–
60 कि.ली. से अधिक	20.00	80 कि.ली. से अधिक	24.00	100 कि.ली. से अधिक	30.00

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अगर शासन से इस वर्ष पूर्व में फीज की गई राशियों बाबद् स्वीकृति प्राप्त नही होती है, तो परिषद के समक्ष समस्त तथ्यों के साथ यह प्रस्ताव रखा जाना स्वीकृत किया जाता है, इस संबंध में समय–समय पर जनहित में नियमानुसार निर्णय लिये जाने के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी 1/2 इंच जलकर उपभोक्ताओं को नियमित किए जाने के प्रयासों के तहत आवासीय इकाईयों में अवैध जल कनेक्शनधारियों को नियमित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार 3725/– रू. (शुल्क राशि 2525/– व छः माह की जलकर राशि 1200/–) में नल कनेक्शन वैध किया जाना यथावत स्वीकृत किया जाता है। साथ ही व्यवसायिक श्रेणी की निर्मित इकाइयों में 1/2 इंच अवैध जल कनेक्शनधारियों को नियमित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 7025/– रू. (शुल्क राशि 2525/– व छः माह की जलकर राशि 4500/–) में नल कनेक्शन वैध किया जाना यथावत स्वीकृत किया जाता है। उक्त के साथ–साथ ऐसे जलकर उपभोक्ता जिनके द्वारा जल प्रभार का व्यावसायिक उपयोग होने पर भी आवासीय दर से जल प्रभार की राशि जमा की जा रही है, यदि वे अपना आवासीय कनेक्शन को व्यावसायिक कनेक्शन में परिवर्तित कराते हैं, तो उनसे वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्व–घोषणा योजना के तहत एकमुश्त राशि रू.

Scanned by CamScanner

3300/– जमा कराया जाकर 1/2 इंच जल कनेक्शन को आवासीय से व्यावसायिक कनेक्शन में परिवर्तन किया जाना स्वीकृत किया जाता है। इससे अधिक साईज के व्यावसायिक/आवासीय कनेक्शनों में प्रचलित दर के अनुपात में 6 माह का जल प्रभार एवं रू. 2525/– शुल्क राशि लेते हुए कनेक्शन नियमित किये जा सकेंगे। व्यवसायिक/आवासीय संस्थानों पर एक ही भूमि/भवन पर अनेक संख्या में लगे 1/2 इंच जल कनेक्शन को पानी की आवश्यकतानुसार एक बल्क कनेक्शन में परिवर्तित करते हुये नियमितीकरण की कार्यवाही किया जाना स्वीकृत किया जाता है। इस हेतु समस्त कार्यवाही के लिए आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। यह भी स्वीकृत किया जाता है कि नवीन नल कनेक्शन की स्वीकृति नर्मदा परियोजना के अधिकारियों द्वारा दी जायेगी। नवीन नल कनेक्शन पूर्ववत अनुसार ही एम.आई.सी. के निर्णय अनुसार दिया जाना स्वीकृत किया जाता है।

- घोषित मलिन बस्तियों में रहने वाले रहवासियों के लिये अवैध नल संयोजन को वैध करने हेतु 1200/– शुल्क यथावत पूर्व वर्ष अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है तथा घोषित मलिन बस्तियों में नवीन जल संयोजन लेने हेतु रू. 1000/– रू. की राशि यथावत पूर्व वर्ष अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है तथा नल संयोजन अवैध से वैध करते समय संबंधित भवन अथवा सम्पत्ति पर जलकर की राशि पूर्व से बकाया नही है यह सुनिश्चित किया जाना स्वीकृत किया जाता है। मलिन बस्ती की सूची में नवीन जल संयोजन अथवा अवैध से वैध नल संयोजन घोषित मलिन बस्ती की सूची में बस्ती होने संबंधित क्षेत्र के झोनल अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरांत ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उक्त लाभ आधा इंच आवासीय कनेक्शन धारकों को ही दिया जाना स्वीकृत किया जाता है। इस वर्ष में भी इस संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन/पुनरीक्षण एवं नीति संबंधित निर्णय लिये जाने के लिये आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी शेष बिन्दु यथावत जारी रखा जाना स्वीकृत किया जाता है।
- मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28/09/2020 एवं संशोधन दिनांक 29/12/2021 के प्रावधानो के अंतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 (क) के अंतर्गत नगर पालिक निगम इन्दौर प्रशासक प्रस्ताव क्रं. 06 दिनांक 08/04/2022 अनुसार निगम सीमा स्थित व्यवसायिक परिसंपत्तियों से मल निपटान प्रभार राशि रुपयें 300 प्रतिमाह एवं औद्योगिक परिसंपत्तियों से मल निपटान प्रभार 480 रुपयें प्रतिमाह एवं बल्क व्यवसायिक एवं औद्योगिक जल संयोजन उपभोक्ताओ के 1 इंच व उससे अधिक जल संयोजन प्रकारो की निर्धारित मासिक जलप्रदाय दर का 40 प्रतिशत मल निपटान प्रभार वर्ष 2022–23 से आरोपित कर ई–नगर पालिका पोर्टल पर बल्क व्यवसायिक एवं औद्योगिक परिसंपत्तियों के मल निपटान प्रभार के नवीन खाते खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
- भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा नगरीय सीमा में किसी भी प्लाट पर भवन अनुज्ञा देने के पूर्व उस भवन/प्लाट/कॉलोनी की बकाया संपत्तिकर, जलकर वसूलने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा दिये जाने की स्वीकृति पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है। भवन अनुज्ञा प्रदान किये जाने की दिनांक तक का सम्पूर्ण जलकर जमा कराया जाना स्वीकृत किया जाता है। भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा जब तक राजस्व विभाग से चालू वर्ष की जमा राशि क्लीयरेंस सर्टिफिकेट/नो–ड्यूस सर्टिफिकेट प्राप्त नही किया जाता, तब तक भवन अनुज्ञा शाखा में लगे कम्प्यूटर पर भी संबंधित आवेदक का खाता चेक करने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा दी जाती रही है। इस प्रकिया मे संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की जाना स्वीकृत किया जाता है कि निगम राजस्व शाखा में ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स, जल प्रभार एवं अन्य सभी प्रकार के अनुशांगिक कर, शुल्क आदि से अनापत्ति/नोड्यूज संबंधी जानकारी, सीधे ऑन लाईन भवन अनुज्ञा के सॉफ्टवेयर में भेजी जाएगी। जिससे नागरिकों को राजस्व विभाग अंतर्गत अनापत्ति/नोड्यूज लेने हेतु झोनल कार्यालय पर परेशानी नहीं आएगी।
- जलपुनर्भरण शुल्क, वृक्षारोपण शुल्क व अन्य भवन अनुज्ञा शुल्क जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हेतु लगने वाला शुल्क, पेड़–पौधों को लगाने एवं लगने वाला शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा आवेदन शुल्क, साइट–प्लान, भवन अनुज्ञा शुल्क, पटरी शुल्क, नवीन ड्रेनेज कनेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क, भवन निर्माण के समय जल संयोजन शुल्क, जल संयोजन हेतु सड़क खुदाई शुल्क, तलघर कमिटमेंट शुल्क, दुकान कार्यालय गोडाउन शुल्क, बहुआवासीय भवनों के लिये फ्लेट शुल्क, कमर्शियल शुल्क, ग्रुपहाउसिंग के भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में जमा किये जाने वाले विकास शुल्क (यथा संशोधित) वाटर हार्वेस्टिंग कमिटमेंट शुल्क, रेन/रूफ वॉटर हार्वेस्टिग शुल्क, पेड़–पौधे लगाने हेतु वृक्षारोपण शुल्क एवं अन्य भवन अनुज्ञा लेते समय लगने वाले अन्य शुल्क एवं समझौता शुल्क/कम्पाउंडिंग शुल्क, एबीडी एरिया हेतु, सी एंड डी वेस्ट, प्रीमियम ऑन मिक्स यूज, प्रीमियम ऑन पार्किंग, प्रीमियम ऑन एफ.एस.आई., वेल्यू केप्चर फण्ड, प्रीमियम ऑन एडिशनल एफ.ए.आर., प्रीमियम ऑन मिक्स यूज, प्रीमियम ऑन पार्किंग, प्रीमियम ऑन प्लांट संयुक्तीकरण राशि, निर्धारित प्रकिया अनुरूप पूर्व वर्षानुसार यथावत दर/शुल्क (यदि परिवर्तित दर/शुल्क

Scanned by CamScanner

को छोड़कर) लिया जाना स्वीकृत किया जाता है। दर में संशोधन/परिवर्तन हेतु आयुक्त को भी अधिकृत किया जाना वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी स्वीकृत है।

- भवन में स्वीकृति के विपरीत बने प्रशमन निर्माण कार्य की राशि म.प्र. राजपत्र प्रकाशन 20.09.2016 एवं 31.08.2021 अनुसार ली जाना पूर्व अद्यतन वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- पटरी शुल्क से तात्पर्य यह है कि कोई भी निर्माण कार्य के समय उस स्थल पर पहुंचने तक अगर फुटपाथ अथवा सड़क का उपयोग निर्माण सामग्री पहुंचाने हेतु किये जाने के दौरान सड़क अथवा फुटपाथ में टूट–फुट में लगने वाले रिपेयर से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यातायात एवं पैदल यात्रियों हेतु निर्मित सड़क एवं फुटपाथ पर निर्माण कार्य होने तक उसका उपयोग निर्माण सामग्री रखने हेतु किया जाएगा।
- नर्मदा कैंपिटल रिन्यूवल शुल्क के अधिरोपण के दायरे/क्षेत्र को व्यापक करते हुऐ भवन अनुज्ञा के समय भूखण्ड क्षेत्रफल पर अधिरोपित नर्मदा कैपिटल शुल्क लगाया जाता है। निकाय सीमा में शुल्क अधिरोपण लागू होने वाले वर्ष के पूर्व में विकसित कॉलोनियों एवं मध्य व अन्य क्षेत्र में स्थित आवासीय भवन (बिल्डर के द्वारा प्रस्तुत न करने पर) पर पूर्व वर्ष में निर्धारित, बिल्डर के द्वारा प्रस्तुत प्रकोष्ठ श्रेणी के भवनों पर निर्धारित एवं समस्त वाणिज्य उपयोग के भवनों पर निर्धारित मान से भवन अनुज्ञा देते समय नर्मदा कैपिटल रिन्यूवल शुल्क अधिरोपित कर वसूला जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है। इसी क्रम में भी नवीन कॉलोनी/नियमितीकरण के प्रस्ताव को भी पूर्व वर्ष अनुसार लागू किया जाना स्वीकृत किया जाता है।
- निगम सीमा स्थित किसी भी भवन की अनुज्ञा, लीज नवीनीकरण, लीज आंवटन, भवन निर्माण के समय पर बिल्डर लायसेंस उपयोग करने की स्थिति में आवेदन शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क अनुसार वसूला जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है।
- निगम सीमा में स्थित कॉलोनियों के लिये विकास अनुज्ञा तथा भवन निर्माता/कॉलोनाइजर पंजीयन आवेदन किये जाने के लिये आवेदन फार्म शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क पूर्व अनुसार दर से अधिरोपित/वसूला जाना स्वीकृत किया जाता है। आर्किटेक्ट के द्वारा ऑनलाइन से भी नक्शों को प्रेषित पूर्व अनुसार किया जाना स्वीकृत किया जाता है। अर्किटेक्ट, स्ट्रेक्चर इंजीनियर, अग्निशमन इंजीनियर, लिफ्ट इंजीनियर, सुपरवाईजर एवं टाउन प्लानर को ऑन लाइन प्रकिया के अंतर्गत मानचित्र प्रस्तुत करने/स्वीकृति हेतु फार्म/लायसेंस जारी करने के लिये 1500/– रू. का शुल्क जमा कराया जाना, प्रकिया एवं अन्य निर्धारण हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है। भवन अनुज्ञा शुल्क म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 2012 अनुसार भवन अनुज्ञा फीस नियम 21 (ग) अनुसार दर/फीस लिया जाना एवं भवन अनुज्ञा शुल्क की गणना करते समय भूमि विकास अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिये सर्विस डक्ट, भूतल पर गैरेज, बाहर की ओर निकले केन्टीलीवर, लिफ्टवेल, कॉमन पैसेज इत्यादि क्षेत्रफल को भी शामिल करते हुए अनुज्ञा शुल्क/फीस की गणना पूर्व वर्ष अनुसार लागू किया जाना स्वीकृत है। शुल्क/फीस की गणना के लिए लिया गया कुल क्षेत्रफल कर्मकार कल्याण शुल्क की गणना हेतु लियें गये क्षेत्रफल के समतुल्य होगा न कि कम। यह शुल्क/फीस पूर्व वर्षानुसार वर्ष 2022–23 में भी वसूला जाना एवं आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- इन्दौर विकास योजना 2021 में भी उल्लेखित मिश्रित उपयोग/विधि मान्य शुल्क पूर्व वर्षानुसार इस वर्ष भी वसूला जाना स्वीकृत है। निगम सीमा में मास्टर प्लान के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित सभी झोनल प्लान में से शेष झोन प्लान पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के लिये वर्ष 2022–23 में आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिये भवन अनुज्ञा की प्रकिया को विकेन्द्रीकृत एवं पारदर्शी बनाते हुए भवन अनुज्ञा के कार्यो का सरलीकरण करते हुये अनुज्ञा ऑन लाइन प्रदान की जा रही है। इसमें नागरिकों की सुविधा के लिये यथोचित निर्णय लिये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- मोबाईल टॉवर स्थापना अनुमति शुल्क/प्रशमन शुल्क/नवीनीकरण शुल्क आदि की राशि गजट नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2012 एवं शासन द्वारा निर्धारित नीति, प्रावधानों अनुसार स्वीकृत है।
- केबल एवं गैस पाईप लाईन डालने हेतु शुल्क शासन से निर्धारित दरों पर ही हाईड्रोलिक ड्रिलिंग पद्धति (एच.डी. डी.) से खुदाई की दरों अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है, साथ ही 17 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क चार्ज व रू. 2,20,000/– प्रति कि.मी. सिक्युरिटी डिपॉजिट के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 में निगम में जमा कराई जाएगी। ट्रेंचलेस स्वीकृति के विरूद्ध ओपन कट पद्धति से केबल एवं गैस पाईप लाईन बिछाने के कार्य पर कार्य की प्रकृति एवं नुकसान के आधार पर दण्ड राशि वसूलना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत किया जाता है।
- नवीन नियम "म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017, दिनांक 28 मार्च 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 मे पूर्व वर्ष अनुसार कार्यवाही की जाना स्वीकृत है।

Scanned by CamScanner

- इन्दौर बी.आर.टी.एस. ए.बी.रोड़ पर आई–बसों के सफल संचालन हेतु मेयर–इन–कौंसिल द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार निरंजनपुर से राजीव गांधी तक समस्त विज्ञापन प्रसारण के अधिकार की स्वीकृति ए.आई.सी.टी.एस. एल. को प्रदान की गई है। वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार लागू किया जाना स्वीकृत है।
- विज्ञापन हेतु स्वःनिर्धारण विवरणी, पेनल्टी प्रावधान, स्वीकृत एवं अंतिम दिनांक, वैधता, सरचार्ज दर एवं समयावधि, भुगतान प्रकार, प्रकिया एवं संयुक्तिकरण के प्रस्ताव पूर्व वर्ष में निर्धारित अवधि तक इस वर्ष में भी उसी समान लिया जाना स्वीकृत है। इसके पश्चात् आंवटन रद्द करते हुये एजेन्सी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं इस सम्पूर्ण प्रकिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। बिना अनुमति के शासकीय विभाग द्वारा सिग्नलों/अन्य स्थानों पर एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित कराये जाने की स्थिति में "म.प्र. आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए पूर्व वर्ष अनुसार आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। नगर निगम द्वारा अधिरोपित विज्ञापन कर पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत लगाये गये ट्रेफिक सिग्नल या अन्य विज्ञापनों के संबंध में नगर निगम में आवश्यक रूप से राशि जमा कराई जावे। पी.पी.पी. अथवा ई.पी.सी. में ट्रेफिक सिग्नल स्थापित करने संबंधी कार्य सम्पूर्ण शहर में नगर निगम इन्दौर द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नगरीय परिवहन एवं इससे जुडे अनुशांगिक विषयों की क्षेत्राधिकारिता राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को दी गई है। इस संबंध में समय–समय पर यथा निर्णय लिये जाने के लिये आयुक्त को भी अधिकृत किया जाना स्वीकृत है। इस संबंध में निगम हित में यथा संशोधन/छूट/सरचार्ज माफ के लिये निर्णय लिये जाने हेतु आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 12.04.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में वाहनों के विक्रय राशि पर लगाये जाने वाले फीस/शुल्क को अधिरोपित/वसुले जाने के लिये परिषद के पूर्व प्रस्तावों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु युक्तियुक्तकरण एवं यथा संशोधन के लिये आयुक्त को अधिकृत किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।
- जे.एन.एन.यु.आर.एम. योजना अंतर्गत सुधारों के तहत एवं भारत सरकार/ मध्यप्रदेश सरकार की शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किये गए अरबन ट्रांसपोर्ट मेनेजमेंट अध्ययन की अनुशंसा अनुसार विभिन्न सुधार किए गए। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वित्त पोषण, शहरी परिवहन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के प्रबंधन को पूरा करना, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, महिलाओं, छात्र–छात्राओं को सामाजिक कल्याण के तहत रियायती बस यात्रा पास, स्थानीय परिवहन का विकास, पार्किंग का विकास और प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिये प्रचार, शहरी यातायात प्रवर्तन बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु, समर्पित परिवहन में सुधार के लिये प्रचार, शहरी यातायात प्रवर्तन बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु, समर्पित शहरी परिवहन विकास कोष में राशी स्त्रोत के लिये पूर्व प्रस्ताव क्रमांक 75 दिनांक 19.08.2011 में संशोधन करते हुए मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 75 दिनांक 22.05.2012 एवं सपठित संकल्प क्रमांक 914 दिनांक 22.03.2013 अनुसार वाहन क्रय करने पर एक बार शहरी परिवहन एवं पार्किंग विकास शुल्क निम्नानुसार आरोपित करने की स्वीकृति दी जाना स्वीकृत है।

अ.क.	वाहन का प्रकार	वाहन मूल्य राशि	शुल्क राशि
1	दुपहिया वाहन	वाहन मूल्य रू. 50,000/– तक	रू. 250/–
2	दुपहिया वाहन	1. वाहन मूल्य रू. 50,000/– से 1,00,000/– तक 2. वाहन मूल्य रू. 1,00,000/– से 5,00,000/– तक 3. वाहन मूल्य रू. 5,00,000/– से अधिक	रू. 500/– रू. 1000/– रू. 1500/–
3	तीन पहिया वाहन	तीन पहिया वाहन समस्त	रू. 1000/–
4	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रू. 6.00 लाख तक	रू. 1500/–
5	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रू. 6.00 लाख से अधिक व रू. 12.00 लाख तक	रू. 2000/–
6	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रू. 12.00 लाख से अधिक व रू. 30.00 लाख तक	रू. 3000/–
7	चार पहिया वाहन	वाहन मूल्य रू. 30.00 लाख से अधिक	रू. 5000/–

उपरोक्त शुल्क ऑटो रिक्षा/टैक्सियां/शहरी बस सेवा 25 से अधिक सीटों क्षमता/सभी शासकीय वाहन/एम्बुलेंस/अग्नि शमन वाहनों की सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू नही होगा। वर्ष 2022–23 में पार्किंग शुल्क को वसूले जाने हेतु स्वीकृत किया जाता है।

- सदर प्रस्ताव में रिक्त दुकानों/रिक्त छतों के निविदा के माध्यम से आवंटित करने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 92 दिनांक 24.02.2016 में प्राप्त निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जाना स्वीकृत है। निगम स्वामित्व के मार्केट्स की समस्त दुकानों में किराये की दर गत वर्ष अनुसार रू. 10/– प्रतिवर्ग

Scanned by CamScanner

फुट प्रतिमाह की दर से वसूल किया जाना स्वीकृत किया जाता है। पूर्व वर्ष में लिए गए यथोचित निर्णयों में निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए निगम की रिक्त दुकानों/निगम मार्केट की छतों (शेष रही रिक्त) को विधिवत निविदा आमंत्रित करते हुए उच्चतम ऑफरदाता से स्वीकृत राशि एकमुश्त जमा करवाई जाने की शर्त पर आवंटन किया जाना स्वीकृत किया जाता है। निगम स्वामित्व दुकानदारों को मासिक बिल एवं एकमुश्त सुविधा का लाभ दिये जाने हेतु प्रावधान को पूर्व वर्ष अनुसार लागू किया जाना स्वीकृत किया जाता है। नगरीय क्षेत्र निगम की रिक्त भूमियों पर निगम मार्केट निर्माण का किया जाकर राइट ऑफ ऑक्युपेशन के आधार पर किराये से देने हेतु शहरी क्षेत्र में स्थानों का चयन किया जाकर एवं टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग की सक्षम स्वीकृत के उपरांत मार्केटों के निर्माण की योजना इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी लागू किया जाना स्वीकृत किया जाता है। इसके लिये निगम के तकनीकी अमले के द्वारा चयनित स्थलों का सूक्ष्म परीक्षण, नागरिकों की सुविधा, यातायात व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनाए जाएंगे। इसके लिये अन्य शासकीय विभाग जो आवश्यक हो से भी अनुमतियां प्राप्त किया जाना स्वीकृत किया जाता है। सक्षम निर्णय हेतु आयुक्त को पूर्व वर्ष अनुसार अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।

- भवन/दुकान किराये/नामांतरण/नियमितीकरण एवं गुमटी नामान्तरण शुल्क पटरी, ओटला ठेला नामान्तरण शुल्क, निगम पक्की दुकान मिल्क पार्लर, मिल्क बूथ हेतु वार्षिक शुल्क/किराया, दुकानों के नामांतरण शुल्क एवं राइट ऑफ ऑक्यूपेशन की राशि पूर्व वर्षानुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के शासकीय कर के अधिरोपण की स्थिति में अधिरोपित कर की राशि किराएदार से किराए राशि के साथ वसूला जाना स्वीकृत किया जाता है। अस्थाई ठेला/गुमटी धारकों के किराए के संबंध में वर्तमान दर को पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में लागू किया जाना स्वीकृत किया जाता है।
- इन्दौर शहर में जहां पार्किंग बननी हैं उनकी जगह का निर्धारण जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर किया जायेगा एवं पहले फेस में ए.बी.डी. एरिया हेतु दर तय किए गए।
- जिला प्रशासन एवं एन.जी.ओ. की मदद से ट्रेड लाईसेन्स की संख्या बढ़ाने का कार्य वर्ष 2022–23 में किया जाएगा। जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी। इसी तरह मछली और मुर्गी दुकानों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

- लीज भूमि एवं सभी प्रकार की सम्पत्तियों के सर्वेक्षण हेतु एवं अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार लीज संबंधी प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये कंसलटेंट की सेवाएं पूर्व वर्ष अनुसार ली जाना स्वीकृत किया जाता है। निगम भूमि का लीज प्रीमियम एवं लीज संबंधित कार्य हेतु म.प्र. अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 यथा संशोधन 2021 तथा प्रशासक प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 03/09/2021 एवं प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 14/09/2021 अनुसार लागू किया जाना स्वीकृत किया जाता है। निगम हित के अंतर्गत राजस्व प्रभावित न हो इसके लिये समयावधि में कार्यवाही एवं नियमानुसार निर्णय हेतु आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकृत किया जाना स्वीकृत है।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालत) नियम 2020 को प्रभावशील करते हुऐ नवीन कॉलोनियों/नियमितीकरण के लिये विकास अनुज्ञा देते समय एवं अन्य सभी क्षेत्रों में (नवीन कॉलोनी/ नियमितीकरण को छोडते हुये) भवन अनुज्ञा देते समय भूखण्ड क्षेत्रफल पर अधिरोपित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित दरों से पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी वसूला जाना स्वीकृत किया जाता है।
- 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत् घर–घर से कचरा संग्रहण करने की कार्यवाही की भी स्वीकृती पूर्व वर्ष अनुसार दी जाती है। प्रत्येक वार्ड को एक इकाई मानते हुए वार्डवार घर–घर से कचरा संग्रहण की कार्यवाही की जावेगी। वित्तीय रूप से सुचारू एवं सुदृढ़ बनाये रखने हेतु निगम अधिनियम की धारा 132 के तहत् यूजर्स चार्जेस (उपभोक्ता शुल्क/प्रभार) पूर्व वर्ष अनुसार वसूला जाना स्वीकृत है। उपभोक्ता प्रभार संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा अपनी टीम के माध्यम से वसूल किया जावेगा तथा स्वास्थ्य विभाग के संबंधित सी.एस.आई./दरोगा संबंधित वार्ड के प्रत्येक घर का खाता सहायक राजस्व अधिकारी के अभिलेखों में संस्थित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। सहायक राजस्व अधिकारी इन उपभोक्ता प्रभार की वसूली हेतु स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग ले सकेगा। अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इस कार्य में लगाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। संपत्तिकर एवं अन्य अनुशांगिक करों/शुल्क के मांग पत्र के साथ जल प्रभार एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार का मांग पत्र एवं ठोस अपशिष्ट बल्क कलेक्शन प्रभार भी एक साथ संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्मित इकाई में भेजा जाएगा। कचरा प्रबंधन के तहत शहर में कहीं पर भी गंदगी/कचरा पाये जाने पर अधिकतम राशि रू. 1 लाख तक स्पॉट फाईन शुल्क पूर्व वर्ष अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में वसूला जाना स्वीकृत है।
- ठोस अपशिष्ट उपभोक्त प्रबंधन प्रभार के तहत डोर टू डोर ठोस अपशिष्ट शुल्क रेट झोन अनुसार आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों से वसूल किया जा रहा है। वसूली नगद एवं चेक के माध्यम से प्राप्त हो रही है, वसूली के दौरान प्राप्त होने वाले चेक अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में बैंक द्वारा अस्वीकृत चेक का शुल्क निगम से वसूल किया जा रहा है। अस्वीकृत चेको की शुल्क राशि की वसूली हेतु संबंधित करदाता के जी.सी.पी. खाते में अस्वीकृत चेक दण्ड राशि 500/– रूपये निर्धारित करना स्वीकृत है।

शुल्क का प्रकार	रेट झोन –01		रेट झोन –02		रेट झोन –03		रेट झोन –04		रेट झोन –05	
	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक प्रयोजन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार	रू. 150/– प्रतिमाह	रू. 180/– प्रतिमाह	रू. 130/– प्रतिमाह	रू. 160/– प्रतिमाह	रू. 100/– प्रतिमाह	रू. 140/– प्रतिमाह	रू. 90/– प्रतिमाह	रू. 120/– प्रतिमाह	रू. 60/– प्रतिमाह	रू. 100/– प्रतिमाह

निगम द्वारा जारी किए गए बिल अनुसार ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार की राशि का भुगतान ऑनलाइन जमा कराने हेतु निगम वेबसाइट **www.mpenagarpalika.gov.in** पर एवं संबंधित झोनल कार्यालय/निगम मुख्यालय में जमा कराने की व्यवस्था उपलब्ध है।

- व्यवसायिक संस्थानों एवं गैर आवासीय अथवा आवासीय संस्थान जहां से बल्क कलेक्शन में कचरे को लिया जाता है। एम.आय.सी. के पूर्व संकल्प क्रमांक 12 दिनांक 02.04.2007 एवं तद्पुरान्त परिषद संकल्प के तारतम्य में लगभग 10 वर्ष पूर्व की ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार दरें निम्नानुसार हैः–

(अ) होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्टल (मेस की सुविधा सहित, बिना मेस के), अन्य श्रेणी के गैर आवासीय संस्थान, ऐसे आवासीय संस्थान जहां 5 कि.ग्रा. से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है निम्नानुसार ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार दरें पूर्व में अधिरोपित की गयी थी।

Scanned by CamScanner

(अ)

श्रेणी	संस्थानों से निकलने वाले कचरे की मात्रा	निर्धारित दरें
ए	1.5 से 2.5 टन प्रतिदिन	रू. 30,000 प्रतिमाह
बी	750 किग्रा. से 1.5 टन प्रतिदिन	रू. 15,000 प्रतिमाह
सी	400 से 750 किग्रा प्रतिदिन	रू. 7,500 प्रतिमाह
डी	300 से 400 किग्रा प्रतिदिन	रू. 5,000 प्रतिमाह
ई	100 से 300 किग्रा प्रतिदिन	रू. 3,000 प्रतिमाह
एफ	75 से 100 किग्रा प्रतिदिन	रू. 1,500 प्रतिमाह
जी	30 से 75 किग्रा प्रतिदिन	रू. 1,000 प्रतिमाह
एच	10 से 30 किग्रा प्रतिदिन	रू. 500 प्रतिमाह
आई	5 से 10 किग्रा प्रतिदिन	रू. 300 प्रतिमाह

(ब) 10 वर्ष पूर्व अधिरोपित की गयी ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2017 में आयुक्त महोदय के आदेश कं. 637/MC/17 दिनांक 21.06.2017 –ब) अनुसार नवीन स्वीकृत दरें निम्नानुसार है–

(ब)

श्रेणी	संस्थानों से निकलने वाले कचरे की मात्रा	निर्धारित दरें
ए	1.5 से 2.5 टन प्रतिदिन	रू. 45,000 प्रतिमाह
बी	750 किग्रा. से 1.5 टन प्रतिदिन	रू. 25000 प्रतिमाह
सी	400 से 750 किग्रा प्रतिदिन	रू. 11250 प्रतिमाह
डी	300 से 400 किग्रा प्रतिदिन	रू. 7500 प्रतिमाह
ई	100 से 300 किग्रा प्रतिदिन	रू. 4500 प्रतिमाह
एफ	75 से 100 किग्रा प्रतिदिन	रू. 2250 प्रतिमाह
जी	30 से 75 किग्रा प्रतिदिन	रू. 1500 प्रतिमाह
एच	10 से 30 किग्रा प्रतिदिन	रू. 750 प्रतिमाह
आई	5 से 10 किग्रा प्रतिदिन	रू. 450 प्रतिमाह

नर्सिंग होम, अस्पताल में पूर्व संकल्प अनुसार दरे प्रति बेड/प्रतिदिन एवं अन्य आधारों पर निर्धारित की गयी थी। "अ" वर्णित विलोपित करते हुये "ब" वर्णित (पुनरीक्षित) में निर्धारित अनुसार कचरे के भार के मान से ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व वर्ष अनुसार लिया जाना स्वीकृत है।

(स) मैरिज गार्डन, धर्मशाला, मांगलिक भवन एवं इसी श्रेणी के मिलते–जुलते संस्थानों में पूर्व वर्ष 2007 के संकल्प अनुसार 1 रू. प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष निर्धारित था जिसे आदेश कं. 637/MC/17 दिनांक 21.06.2017 के बिन्दु "ब" के कंडिका 3 व 4 के अनुसार रू. 2 प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष ही रखते हुवे इस दर को मैरिज गार्डन व इससे मिलते–जुलते संस्थानों में भूखण्ड के क्षेत्रफल (पार्किंग सहित) तथा धर्मशाला एवं मांगलिक भवन एवं इससे मिलते–जुलते संस्थानों पर यह दर Builtup क्षेत्र में पार्किंग सहित लिया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।

(द) सरवटे/गंगवाल बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन के बाहर का क्षेत्रफल, एम.वाय.एच अस्पताल, जिला अस्पताल, अन्य राज्य शासन के शासकीय अस्पताल, समस्त शासकीय विद्यालय एवं महाविद्यालयों में निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से कचरा संग्रहण का कार्य किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार स्वीकृत है।

(इ) रेल्वे स्टेशन, अन्य सभी केन्द्रशासित एवं राज्य के विभाग, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से तालिका "अ" अनुसार ही ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार वसूल किया जाना पूर्व वर्ष अनुसार लिया जाना स्वीकृत किया जाता है।

(ई) शहर में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, बारात, शादी के पंडाल, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में खुली भूमियों पर आयोजित कार्यक्रम, किये जाते हैं इन कार्यक्रमों के दौरान भी ठोस अपशिष्ट भी उत्सर्जित होता है तथा उसका परिवहन एवं कचरा संग्रहण आदि निगम को करना होता है। इस प्रकार के बारात, रैली एवं अन्य श्रेणी की रैली अथवा कार्यक्रमों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को आयोजकगण डस्टबिन रखकर नियंत्रित करें। इस हेतु विभिन्न माध्यमों से एवं एन.जी.ओ के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

Scanned by CamScanner

सार्वजनिक रोशनीः–

- विद्युत शाखा के अन्तर्गत शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं के तहत् स्ट्रीट लाईट प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है एवं संपूर्ण शहर की प्रकाश व्यवस्था का संधारण का कार्य किया जाता है।
- निगम द्वारा विगत वित्तीय वर्षो से विद्युत ऊर्जा की कम खपत वाली एल.ई.डी. लाईट फिटिंग लोगो के आवगमन की फ्रिक्वेंसी को देखते हुवे मुख्य मार्गो व वार्डो के रिक्त विद्युत पोलो पर चरणबद्ध तरीके से लगाना प्रारंभ किया गया है। इस कम में 59206 नवीन एल.ई.डी. लाईट फिटिंग्स शहर के विभिन्न वार्डों के विद्युत पोलों पर स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संयुक्त उद्यम कम्पनी EESL द्वारा दिए गए प्रस्ताव अनुसार 74,415 कनवेन्शनल स्ट्रीट लाईटों को ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी फिटिंग में परिवर्तित करना साथ ही शहर में लगभग 5000 नवीन स्थापित/रिक्त विद्युत पोलों पर ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. फिटिंग भी स्थापित की जाना प्रस्तावित। इस वित्तीय वर्ष में लाईट फिटिंग हेतु बजट में रूपये 3800.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।
- विगत वर्ष शहर के प्रमुख मार्गो/फीडर रोड जैसे– तीन इमली ब्रिज से बायपास तक, मालवामिल चौराहे से कुलकर्णी भट्टा ब्रिज तक, ए.बी.रोड पर देवास नाका से पंचवटी गेट तक, मधुमिलन चौराहे से शिवाजी वाटिका चौराहे तक, सुपर कोरिडोर से गोमटगिरी चौराहे तक, भंवरकुआ से आई.टी. पार्क तक एवं मालवामिल से जंजीरवाला चौराहे तक एल.ई.डी. फिटिंग लगाकर सेन्ट्रल लाईट प्रकाश व्यवस्था की जाना प्रस्तावित की गई है। आगामी वर्ष में भी इस हेतु बजट मद में रूपये 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- विगत वित्तीय वर्ष विभिन्न वार्डो में स्थित उद्यानो में प्रकाश व्यवस्था संबंधित कार्य कराया गया जिस पर राशि रूपये 143.00 लाख का व्यय किया गया है। साथ ही विभिन्न उद्यानों जैसे– अर्जुनपुरा उद्यान लालबाग के सामने, पावनधाम उद्यान, गणेशपुरी उद्यान, गणेश मंदिर खजराना के पीछे, इन्द्रपुरी शिवमंदिर उद्यान, पल्हर नगर उद्यान एवं सयाजी के सामने विजय नगर मांगलिक भवन के पीछे स्थित उद्यान में सौर लाईट लगाई जाना प्रस्तावित किया गया है। आगामी वर्ष में भी इस हेतु मद में रूपये 750.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- विगत वर्ष में यातायात व आवगमन की सुविधा की दृष्टि से प्रमुख चौराहो/मार्गो पर बाधक विद्युत पोल एवं लाईन शिफ्टिंग संबंधी कार्य कराया गया है, आगामी वर्ष में भी इस हेतु मद में रूपये 200.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- शहर की स्ट्रीट लाईट प्रकाश व्यवस्था का संचालन व संधारण कार्य निगम द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/कर्मचारियों के माध्यम से निगम स्तर से ही सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में बजट मद में राशि रूपये 1500.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है।
- नगर निगम द्वारा सेन्ट्रल लाईट/आर्म पोल को शहर के प्रमुख मुख्य मार्गों पर स्थापित कया जाता है एवं इन मार्गों पर अंडरग्राउण्ड केबलिंग की जाती है, किन्तु नेटवर्क प्रदात्ता कम्पनी द्वारा ओवरहेड केबलिंग की जाने से सदर मार्ग की सुदंरता प्रभावित होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रूपये 700/– प्रति पोल/प्रतिवर्ष, प्रति नेटवर्क प्रदात्ता कंपनी से लिया जाना है।

  नेटवर्क कंपनी द्वारा पोल पर केबल व्यवस्थित रूप से लगाई जावेगी। निगम को आर्थिक लाभ के साथ–साथ केबल से पोल या फिटिंग के क्षतिग्रस्त होने पर उसका व्यय नेटवर्क प्रदात्ता कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।

  शहर की सुंदरता, जनहित एवं निगम राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए शहर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर स्थापित सेन्ट्रल लाईट/आर्म पोल पर नेटवर्क केबल लगाये जाना है।
- इन्दौर निकाय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पूर्व से स्थापित कन्वेंशनल लाईटें/फिटिंग (4X24/2X24/28/40 वॉट, सोडियम/मेटल हेलाईट) 10 से 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है, इन लाईटों/फिटिंग्स से पर्याप्त प्रकाश/यूनिफार्म लक्स लेवल भी नहीं मिलता है एवं विभिन्न कारणों से यह लाईटें/फिटिंग बार–बार खराब होती रहती है, इस कारण इन लाईटों/फिटिंग्स के संधारण कार्य पर भी अत्यधिक व्यय होता है, जिस हेतु पूर्व में स्थापित कन्वेशनल लाईटों के

Scanned by CamScanner